परेषण निर्यात (विश्वव्यापी कंपनी) पॉलिसी के लिए प्रस्ताव

हम एतद्द्वारा भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड की परेषण निर्यात (विश्वव्यापी कंपनी) पॉलिसी की निबंधनों व शर्तों (जिसे हमने पहले ही पढ़ लिया है) के अनुसार पॉलिसी में परिभाषित हमें होनेवाली संभावित हानि के एक भाग, पर बीमा रक्षा प्रदान करने के लिए आवेदन करते है ।

भाग - I : निर्यातक पर जानकारी (कॉलम सं. 3 से 8 केवल तभी भरें जब आप ई सी जी सी से पहली बार पॉलिसी के लिए संपर्क कर रहे हैं)

1.	निर्यातक का नाम	स्वामित्व/भागीदारी फर्म/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/पब्लिक लिमिटेड कंपनी/अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
2.	यदि आपने ईसीजीसी की कोई अन्य पॉलिसी ली है तो विवरण दें	पॉलिसी नं.
3.	पता	फोन नं. सेल नं. फैक्स नं ई-मेल
4.	आयात-निर्यात कोड सं	
5.	निर्यातक के बैक का नाम व पता	
6.	इकाई की हैसियत	निर्यात प्रतिष्ठान / व्यापार प्रतिष्ठान / स्टार व्यापार प्रतिष्ठान/ सुपरस्टार व्यापार प्रतिष्ठान / अन्य
7.	संपर्क अधिकारी व पदनाम	मोबाइल नं. फोन नं. ई-मेल

8.	मालिक/भागीदार/निदेशको के नाम	पूर्ण नाम (कुलनाम, पिता/पति के नाम सहित) 1. 2. 3. 4. 5. 6. (यदि आवश्यकता हो तो अलग पृष्ठ संलग्न करे)
9.	सहयोगी संस्था का नाम व पता	

भाग - II विश्वव्यापी संस्था की जानकारी (शाखा कार्यालय/माल गोदाम/अनुषंगी)

10.	विश्वव्यापी संस्था का नाम व पता	फोन नं. सेल नं. फैक्स नं ई-मेल
11.	विश्वव्यापी कंपनी के बैंक का नाम व पता	फोन नं. सेल नं. फैक्स नं ई-मेल बैंक खाता संख्या (यदि उपलब्ध हो)
12.	कृपया बताएं कि विश्वव्यापी कंपनी के साथ आपके संगठन का क्या संबंध है? कृपया विशेष रूप से बताएँ कि क्या विश्वव्यापी कंपनी आपकी सहयोगी संस्था है ? यदि ऐसा है तो बताएँ कि इसमें अपने अंश का % बताएँ	

13. विश्वव्यापी कंपनी के साथ पिछले एक वर्ष का अनुभव यदि है (अलग पृष्ठ संलग्न किया जा सकता है):

क्र.	पोतलदान	मूल्य	भुगतान	वसूली की	यदि कोई

सं.	की तारीख	(रु. में)	की शर्तें	तारीख	विलंब/अतिदेय हुआ है तो उसका कारण

भाग III -- विश्वव्यापी कंपनी के साथ संविदा/समझौता/ऑर्डर का विवरण

14.	यदि विश्वव्यापी कंपनी के साथ कोई संविदा/समझौता किया है, उसका विवरण	सं. तारीख समाप्ति की ता. (यदि कोई हो)
15.	वस्तु	

16.	विश्वव्यापी कंपनी के जरिए अपेक्षित विक्री	राशि	तिमाही				वर्ष के लिए कुल
			I	II	III	IV	
		विदेशी मुद्रा में					
		भारतीय मुद्रा मे					

17.	अगले बारह महीनों के दौरान किसी भी समय अपेक्षित बकाया अधिकतम राशि	विदेशी मुद्रा में : भारतीय रु. में :
18.	पोतलदान की तिथि से भारत मे भुगतान प्राप्ति मे औसत दिनों की संख्या	

भाग V -- अंतिम खरीदारों पर जानकारी

19.	क्या विश्वव्यापी कंपनी अपनी विक्री अपने देश से बाहर बिक्री करती है ?	

20.	यदि हाँ, तो उन सभी देशों के नाम जहाँ विक्री की जाती है और प्रत्येक देश में अनुमानित वार्षिक पण्यावर्त	
21.	अंतिम खरीदारों को प्रदान की जाने वाली ऋण की संभावित राशि	अधिकतम राशि विदेशी मुद्रा में रु. में औसत राशि विदेशी मुद्रा में रु. में
22.	अंतिम खरीदार को प्रदान की जाने वाली ऋण की औसत अवधि	
23.	वर्तमान में आपकी जानकारी में रहने वाले अंतिम खरीदारों के नाम व पते , प्रत्येक के लिए प्रदान की जाने वाली संभावित ऋण राशि के साथ बताए (यह माना गया है कि आपके लिए उन सभी संभावित अंतिम खरीदारों की सूची देना संभव नहीं है जिन्हें ऋण प्रदान किया जाना पड सकता है । कृपया नोट करें कि पॉलिसी जारी करते समय आपके किसी भी खरीदार के संबंध में आपको उपलब्ध स्वाधीन साख-सीमा सूचित की जायेगी जो कि तब तक वैध्य रहेगी -- जब तक कि वह चूककर्ता खरीदार की सूची में नहीं है । तथापि, यदि आप कुछ अंतिम खरीदारों के लिए इससे अधिक की साख-सीमा चाहते हैं तो आपको निगम को आवेदन करना होगा और उसका अनुमोदन प्राप्त करना होगा.)	नाम व पता, देश सहित प्रदान किए जाने वाले ऋण की संभावित राशि विदेशी मुद्रा में भारतीय रु. में
24.	कृपया बताएँ कि क्या किसी अंतिम खरीदार की असफलता के कारण आपको कोई हानि उठानी पड़ी है । यदि ऐसा है तो ऐसे प्रत्येक खरीदार के संबंध में चूक का कारण दर्शाते हुए विवरण दें .	

भाग V -- आवश्यक रक्षा का प्रकार (क, ख, ग अथवा घ के सामने टिक करें)

25. राजनीतिक जोखिम, पोतलदान की तारीख से भारत में वसूली होने की तारीख तक, के अतिरिक्त निम्नलिखित में से एक विकल्प शामिल होगा :

क. (केवल उसी मामले में लागू जहाँ विश्वव्यापी संस्था आपकी सहयोगी संस्था हो और आपका हिस्सा उसमें 49% से कम हो) विश्वव्यापी संस्था पर दिवालिया होने का	

जोखिम व अंतिम खरीदारों पर वाणिज्यिक जोखिम	
ख. (केवल उसी मामले में लागू जहाँ विश्वव्यापी संस्था आपकी सहयोगी संस्था हो और आपका हिस्सा उसमें 49% से कम हो) विश्वव्यापी संस्था पर दिवालियेपन का जोखिम	
ग. केवल अंतिम खरीदारों पर वाणिज्यिक जोखिम	
घ. किसी वाणिज्यिक जोखिम की आवश्यकता नहीं	

अनुदेश :

1. आवेदन पत्र के सभी कॉलमों को पढ़ने लायक अक्षरों में लिखें अथवा यदि संभव हो तो टाइप करवाएँ ।

2. यदि विश्वव्यापी संस्था के साथ कोई करार/संविदा की गई है तो उसकी प्रति संलग्न करें ।

3.यदि किसी भी अंतिम खरीदार पर आपके पास कोई रिपोर्ट है तो इस आवेदन के साथ उसकी प्रति संलग्न करें ।

वचन

1. हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि हमें विश्वव्यापी संस्था तथा अंतिम खरीदारों से संबंधित ऐसी किसी परिस्थिति का ज्ञान नहीं है जिसका ऐसे किसी जोखिम, जिस पर हम बीमा के लिए आवेदन कर रहे हैं, हेतु आपकी स्वीकृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।

2. माल का पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से भारत में निर्माण, संसाधित अथवा तैयार किया गया है । (बताएँ कि क्या सौदा मर्चेंटिंग व्यापार देश के अंतर्गत किए जा रहे है जहाँ से माल का निर्यात किया जा रहा है ।

3. हमें यह जानकारी मिलने के बाद कि विश्वव्यापी कंपनी अथवा अंतिम खरीदार वित्तीय कठिनाईयों में है अथवा ऐसी परिस्थिति प्रतीत हो रही है कि उसे पोतलदान करना उचित नहीं है, हम उसे आगे और पोतलदान नहीं करेंगे ।

4. हम एतद्द्वारा घोषित व प्रमाणित करते हैं कि आवेदन में दिए गए सभी विवरण सही हैं एवं हमने ऐसे किसी आवश्यक तथ्य को छिपाया नहीं है अथवा उसका मिथ्या निरूपण नहीं किया गया है जिसका पॉलिसी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े तथा हम इस बात से सहमत हैं कि इस प्रकार के अभिवेदन व तथ्य पॉलिसी का आधार बनेंगे व उन्हें पॉलिसी में शामिल किया जाएगा तथा यह कि तथ्यों के रूप में इस

प्रकार के अभिवेदनों की सच्चाई व इसमें अथवा पॉलिसी में शामिल प्रत्येक वचन का उचित निष्पादन, इसके अधीन निगम की किसी देयता की पूर्व शर्त होगी एवं हमारे द्‌वारा उसका प्रवर्तन किया जाएगा ।

5. हम समझते हैं व सहमत है कि हमें हुई किसी हानि के लिए हमारे द्‌वारा दावा किए जाने व इस पॉलिसी के अथवा पृष्ठांकन जो किसी भी समय इस पॉलिसी के साथ संलग्न किया गया हो, के अधीन निगम द्‌वारा उस पर स्वीकार किए जाने पर दावे की अदायगी सीधे प्रस्ताव फॉर्म में नामित बैंक को की जाएगी जिसके जरिए संबंधित पोतलदान (नों) के निर्यात दस्तावेज भेजे गए थे तथा हम इस बात से भी सहमत हैं कि ऐसी स्थिति में उसके बाद बैंक की पावती निगम को किसी भी प्रकार की देयता से कानूनी रूप से मुक्त करेगी तथा निगम की हमारे प्रति आगे किसी भी प्रकार की देयता नहीं होगी ।

निर्यातक के हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय की मोहर

पते का स्टैम्प

दिनांक :

नोट : निगमित कंपनियों के मामले में इस प्रस्ताव पर कंपनी की ओर से प्राधिकृत अधिकारियों द्‌वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए व हस्ताक्षरकर्ता के पद का उल्लेख किया जाना चाहिए । भागीदारी के मामले में फर्म के भागीदार द्‌वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए । स्वामित्व के मामले में फॉर्म पर मालिक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएँ ।

"किसी भी व्यक्ति को सीधे या परोक्ष रूप से भारत में किसी के जीवन अथवा संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के संबंध में, देय प्रीमियम में पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से छूट देने अथवा पॉलिसी में दर्शाए गए प्रीमियम में किसी प्रकार की छूट देने का प्रलोभन देकर किसी भी व्यक्ति को बीमा लेने अथवा उसे नवीकृत करने या उसे जारी रखने, न ही किसी व्यक्ति को किसी छूट को स्वीकार कर पॉलिसी लेने, उसे पुनर्निर्मित करने अथवा उसे जारी रखने की अनुमति नहीं दी जोगी अथवा अनुमति देने का प्रस्ताव नहीं किया

जाएगा, जब तक कि ऐसी छूट के संबंध में बीमाकृत द्वारा प्रकाशित किसी विवरण पत्रिका अथवा किसी टेबल के अनुसार अनुमति न दी गई हो "

“इन निबंधनो व शर्तों की व्याख्या मे यदि कोई विवाद हुआ तो अंग्रेजी संस्करण ही विधिमान्य होगा"

“In case of dispute in respect of interpretation of these terms & conditions the ENGLISH version shall stand valid”